भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3148
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

एनएमडीएफसी

3148. श्री अरुण भारती:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के अंतर्गत 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देने की योजना, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रदाय की स्थिति क्या है;

(ख) लाभार्थियों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा प्रयुक्त मानदंडों तथा संवितरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क): वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) का संवितरण लक्ष्य 850.00 करोड़ रुपये है और एनएमडीएफसी ने 10 मार्च 2025 तक 1,74,148 से अधिक लाभार्थियों को 752.23 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

(ख): एनएमडीएफसी ने अपने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) को लाभार्थियों से ऋण स्वीकृत करने, वितरित करने और वसूलने का अधिकार सौंपा है। रियायती ऋण जारी करने के लिए लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाता है:

i. व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख से संबंधित होने चाहिए।
ii. वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय क्रेडिट लाइन 1 के अंतर्गत 3.00 लाख रुपये तक तथा क्रेडिट लाइन 2 के अंतर्गत 8.00 लाख रुपये तक हो।

आवेदकों को उपरोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण सहायता वास्तविक और योग्य अल्पसंख्यक लाभार्थियों तक पहुंचे, एससीए ने ऋण की मंजूरी से पहले दस्तावेज़ सत्यापन, पृष्ठभूमि जांच और साइट निरीक्षण के लिए एक बहु-स्तरीय जांच तंत्र अपनाया है। इसके अलावा, स्वीकृत राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से केवाईसी प्रमाणित लाभार्थी खाते में भेजी जाती है।

(ग): देश भर में एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए एनएमडीएफसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट लाइन 1 के अंतर्गत 98,000/- रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000/- रुपये से बढ़ाकर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाना।

ii. लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को अधिक कवरेज प्रदान करने के लिए 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की नई वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड की शुरूआत।

iii. सावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा 10.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 30.00 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य कर दिया गया है। शिक्षा ऋण योजना के तहत घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए ऋण की सीमा 5.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये और विदेश में पाठ्यक्रमों के लिए 10.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 30.00 लाख रुपये कर दी गई है।

iv. लक्षित समूह के कारीगरों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए विरासत योजना की शुरूआत।

v. धर्म प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय, निवास प्रमाण, मार्कशीट आदि के मामले में दस्तावेजों का स्व-घोषणा/स्व-प्रमाणन/स्व-सत्यापन शुरू किया गया है।

vi. एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऋण का हस्तांतरण।

vii. किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षा के लिए लाभार्थी और उनकी परिसंपत्तियों का बीमा।

viii. उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां एससीए गैर-कार्यात्मक हैं। एनएमडीएफसी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए,

ix. एनएमडीएफसी ने आवेदकों, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) और एनएमडीएफसी के बीच ऋण और लेखांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिए मिलन सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है।

*****